राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

1. केलासदान पुत्र सुखदान जाति चारण, निवासी साता, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1. सुखदान पुत्र जवारदान 2. गवरीकंवर पत्नी हरदान जाति चारण, निवासी साता, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 3. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न.229.../2025

28/07/25 प्रार्थी केलासदान पुत्र सुखदान जाति चारण, निवासी साता तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ तहसील सेड़वा के मौजा साता पटवार क्षेत्र साता भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या 186 के खसरा संख्या 272/133 रकबा 7.8995 हैक्टेयर, किस्म बा.सो व खाता संख्या 17 खसरा संख्या 551/269 रकबा 2.4079 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तहसील सेड़वा के मौजा साता पटवार क्षेत्र साता भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या 186 के खसरा संख्या 272/133 रकबा 7.8995 हैक्टेयर, किस्म बा.सो व खाता संख्या 17 खसरा संख्या 551/269 रकबा 2.4079 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा वादग्रस्त आराजी का बैचान रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नहीं करें। किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा वादग्रस्त भूमि के सीमा पर खड़े वर्षो पुराने माठ, बाड़ व मांठों में रदो–बदल, छेड़–छोड़ नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 25/09/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

10/09/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। चूंकि मूलवाद को जरिए राजीनामा विड्रो किया जा चुका है, तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन को इसी स्तर पर समाप्त [illegible] पत्रावली फैसल शुमार [illegible] हो। संख्या से एक कम हो।

कैलासदान
[illegible]
([illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.09.26 20:44:37 IST
Reason: SelfAttested